

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड  
अधिसूचना सं.-02/2022-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 11 मार्च, 2022

सा.का.नि..... (अ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 12) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 3, के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में, संख्यांक सा.का.नि. 609(अ), तारीख 19 जून, 2017, में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या, 02/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में-

(i) पैरा 3 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"3क. पैरा 3 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, यथास्थिति केन्द्रीय कर के अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सारणी V के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट, केन्द्रीय कर के प्रधान आयुक्तों या केन्द्रीय कर आयुक्तों के अधीनस्थ को, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियां निहित की जाती हैं।

(ii) सारणी IV के पश्चात, निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"सारणी V

माल और सेवा कर अन्वेषण महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा जारी सूचना के संबंध में आदेश या विनिश्चय पारित करने के लिए केन्द्रीय कर के अतिरिक्त आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की शक्तियां

क्र.सं.	केन्द्रीय कर प्रधान आयुक्त या आयुक्त	शक्तियां (भारत के पूरे क्षेत्र में प्रयोग करने योग्य)
(1)	(2)	(3)
1.	प्रधान आयुक्त अहमदाबाद दक्षिण	केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 67, 73, 74, 76, 122, 125, 127, 129 और 130 के अधीन माल और सेवा कर अन्वेषण महानिदेशालय द्वारा जारी नोटिस के संबंध में आदेश या विनिश्चय पारित करना। "
2.	प्रधान आयुक्त भोपाल	
3.	प्रधान आयुक्त चंडीगढ़	
4.	आयुक्त चेन्नई दक्षिण	

5.	प्रधान आयुक्त दिल्ली उत्तर	
6.	प्रधान आयुक्त गुवाहाटी	
7.	आयुक्त रंगारेड्डी	
8.	प्रधान आयुक्त कोलकाता उत्तर	
9.	प्रधान आयुक्त लखनऊ	
10.	आयुक्त ठाणे	

”

[फा.सं. सीबीआईसी-20016/2/2022-जीएसटी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या 02/2017- केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 609 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकशित की गयी और अधिसूचना संख्या 02/2021-केंद्रीय कर, तारीख 12 जनवरी, 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) संख्या सा.का.नि. 18 (अ) , तारीख 12 जनवरी, 2021 द्वारा प्रकशित की गयी थी, के द्वारा अंतिम बार संशोधित की गयी।